

कार्यालय लोक सूचना अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ

प्रकरण संख्या 05/2018 सूचना के अधिकार के अन्तर्गत

श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री इन्द्रसिंह जाति रासिख साकिन 2 एल.
बी.एम. झुरियावाला पी.ओ.बडोपल तहसील पीलीबंगा जिला
हनुमानगढ।

—अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

—प्रत्यार्थी

आदेश

दिनांक:—07.03.2018

यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ के विरुद्ध प्राप्त हुई।

अपीलार्थी उपस्थित नहीं। अपील में अंकित तथ्यों के अनुसार सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवाने जाने पर अपीलार्थी सूचना उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील की गई है।

पत्रावली का अवलोकन किया। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ से अपील में कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देश दिये जाते हैं कि वे अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र 27.11.2017 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उसके द्वारा चाही गई सूचना अपीलार्थी को नियमानुसार शीघ्र उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति दोनों पक्षों को भेजी जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

सत्यमेव जयते

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
एवं जिला कलक्टर
हनुमानगढ

Web Copy - Not